

राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निर्देश

राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में होगा कैशलेस सिस्टम

- परिसरों में संचालित आउटलेट्स पर भी होगा ई-ट्रांजक्शन
- विश्वविद्यालयों को चलाना हागा वित्तीय साक्षरता अभियान
- गोद लिये गांवों में भी होगा ई-ट्रांजक्शन

जयपुर, 14 दिसम्बर। राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में शत-प्रतिशत नकदविहीन (कैशलेस) भुगतान प्रक्रिया को लागू करने के कुलपतियों को निर्देश दिये हैं।

राज्यपाल श्री सिंह ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा है कि विश्वविद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वो अध्यापक हो या कर्मचारी या विद्यार्थी) को भुगतान के लिए ई-ट्रांजक्शन या डिजिटल ट्रांजक्शन ही अपनाना होगा। उन्होंने कहा है कि ई-ट्रांजक्शन या डिजिटल ट्रांजक्शन पूर्णतः सरल, सुविधाजनक व सुरक्षित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय 10 जनवरी तक इसके लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लें। श्री सिंह ने कहा है कि 31 मार्च तक गोद लिये गए गांवों में भी ई-ट्रांजक्शन की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेंगे।

कुलाधिपति श्री सिंह ने विश्वविद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि विश्वविद्यालय लोगों को ई-ट्रांजक्शन या डिजिटल ट्रांजक्शन से भुगतान की प्रक्रिया को समझाने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाये।

श्री सिंह ने कहा है कि ई-ट्रांजक्शन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले डेबिट कार्ड व अन्य सुविधाओं को बनवाने की व्यवस्थाओं में भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों को लोगों की मदद करनी होगी।

वित्तीय साक्षरता अभियान के लिए विश्वविद्यालयों को 25 दल गठित करने होंगे। ये दल जगह-जगह जाकर लोगों को ई-ट्रांजक्शन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारियों को स्वयं तो डिजिटल मोड में भुगतान करना ही होगा, साथ ही वे अपने परिवार,, अपने आस-पास के लोगों और गोद लिए गए गांव के लोगों को भी इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे व उनकी मदद भी करेंगे।

राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को ई-ट्रांजक्शन की प्रक्रिया को आवश्यक रूप से लागू करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेंगे ताकि वह सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को इस प्रक्रिया की प्रगति से अवगत करवाते रहें। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के संघटक व महाविद्यालय भी ई-ट्रांजक्शन की प्रक्रिया से ही भुगतान की सुनिश्चितता करें।

श्री सिंह ने कहा कि “ मैं कुलपतियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे ई-ट्रांजक्शन की सफलता के लिए मागदर्शक की भूमिका निभाएं। इसके लिए विश्वविद्यालय, शिविर,, सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता सम्मेलन आयोजित करें और यह आँकड़े भी एकत्रित करके रखें कि विश्वविद्यालय द्वारा कितने आमजन को ई-ट्रांजेक्शन/डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में प्रशिक्षित किया गया। कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस जंग की सफलता में राज्य के विश्वविद्यालयों को पूरे देश में अनुकरणीय बनना होगा। “

राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसरों में संचालित आउटलेट्स पर भी किसी प्रकार का नगद भुगतान नहीं होगा। विश्वविद्यालयों को परिसरों में यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां संचालित आउटलेट्स पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की मशीन की उपलब्धता हो।

राज्यपाल श्री सिंह विश्वविद्यालयों द्वारा ई-ट्रांजक्शन प्रक्रिया की समीक्षा अगले वर्ष 21 फरवरी को राजभवन में होने वाली कुलपति समन्वय समिति की बैठक में करेंगे।